पत्रांक–6 / अ4–19 / 2006..... /

झारखण्ड–सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सचिव,

सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली।

राँची, दिनांक –

विषय : झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालय को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से संबंधन हेतु सशर्त अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के अन्तर्गत संचालित माता द्रौपदी नामधारी गुरू गोविन्द सिंह पब्लिक स्कूल, जमुनी पांकी रोड, डाल्टेनगंज, पलामू को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अधोलिखित शर्त्तों एवं बन्धेजों के अधीन एक वर्ष के अन्दर पूरा करने की शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

विभागीय आदेश संख्या–1055, दिनाक 05.09.2001 के आलोक में निम्नलिखित शर्त्तो एवं बन्धेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय को अपनी भूमि एवं भवन नहीं है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आलोक में भवन एवं भूमि एवं प्रशिक्षित शिक्षकों संबंधी शर्त के कमियों को 1 (एक) वर्ष के अन्दर पूरा करना होगा। स्वत्त्व हस्तानन्तरण अधिनियम में भूमि लीज डीड या गिफ्ट डीड निबंधित होना आवश्यक है। अतएव भूमि को विद्यालय के नाम से निबंधित कराना होगा एवं भवन निर्धारित मापदंड के अनुसार बनाना होगा।

2. विभागीय आदेश संख्या 1055 दिनांक 05.09.2001 के आलोक में निम्नलिखित शर्तो एवं बंधेजों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

3. विद्यालय की बार्षिक बचत, आय के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्धेश्य से स्थापित नहीं किया गया है। कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जाएगा। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार मे कार्यरत समकक्ष कर्मियो को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

4. राज्य सरकार द्वारा विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं

Principal
M.D.N.G.G.P.S., Jamune
Panki Road, Daltonganj

5. संस्था द्वारा नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायगा।

6. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिये।

7. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 (दो) एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र मे चार एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या कम से कम 30 (तीस) वर्षो के निबंधित पट्टा/लीज पर होना चाहिए। यदि भविष्य में जॉचोपरान्त भिन्न स्थिति पायी जायगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित होगा।

8. गरीबी रेखा से नीचे छात्र/छात्राओं लिए 10 प्रतिशत सीट नामांकन के लिए सुरक्षित होगा। साथ ही उनसे सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायगा।

9. विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्रहित में होना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार नैतिक तथा सरकार के सांस्कृतिक विकास हेतु सकारात्मक प्रदान करना होगा।

10. विद्यालय के छात्रों की समुचित सख्या एंव उसके अनुपात में शिक्षक संख्या होने चाहिए ।

11. विद्यालय में नामांकन प्रकिया ,कर्मियो की संख्या, योग्यता एंव नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय–समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

12, विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी।

13, राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेंशन प्रोग्राम तथा एन,सी,सी,स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारू रूप से करना होगा।

14, यदि जो संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या–1055 दिनांक–5,9,2001 के अनुसार शर्त्तो का पालन करना होगा।

15, उपर्युक्त शर्त्तो एंव बन्धनों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

16. यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विद्यालय द्वारा समर्पित कागजात एवं अभिलेखों को जाली या वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के बिरूद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य जिससे सामाजिक कटूता फैलती हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस ले सकती है।

Principal
M.D.N.G.G.P.S., Jamune
Panki Road, Daltonganj

झारखण्ड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था को वित्तीय एवं अकादमिक अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्त्ती कर स्थायी कर सकेगी।

18. एतद विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

19. समय–समय पर लोक हित में सरकार द्वारा विद्यालय संबंधन संबंधी जो निर्णय लिये जायेगें उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्त्तों का उल्लंधन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के साथ–साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

20. संबद्धता प्रदान करने के पूर्व सी0बी0एस0ई0 बोर्ड मान्यता मानक से संतुष्ट हो लेगा।

21. राज्य सरकार स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय सभी शर्तो की पूर्णतः से संतुष्ट हो लेंगे।

22. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

झारखण्ड, रॉंची।

ज्ञापांक ......286....... / रॉंची, दिनांक: 23·1·2007

प्रतिलिपिः– संबंधित क्षेत्रिय उप शिक्षा निदेशक एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ८५ संबंधित प्राचार्य को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 23·1·07

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

झारखण्ड, रॉंची।

Principal
M.D.N.G.G.P.S., Jamune
Panki Road, Daltonganj